न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 77/2016

अपीलान्ट्स

रामाराम पुत्र खमुराम जाति बिशनोई, निवासी भाटेलाई पुरोहितान, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बालेसर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 04.11.2016 जो प्रकरण संख्या 128/2016 सरकार बनाम रामाराम में श्री तहसीलदार बालेसर द्वारा ग्राम भाटेलाई पुरोहितान के ख0 न0 252/2 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा की धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही में पारित किया।

— — —

उपस्थिति :—

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री एल आर पूनिया उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से सरकारी पैरोकार अनुपस्थित।

—: आदेश :—

दिनांक : 09.05.2018

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत आदेश तहसीलदार बालेसर दिनांक 04.11.2016 जो मुकदमा संख्या एल आर एक्ट 128/2016 में पारित किया गया है के विरुद्ध पेश की गई है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरुद्ध पटवारी हल्का भाटेलाई पुरोहितान की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम भाटेलाई पुरोहितान के खसरा नं0 252/2 रकबा 1.10 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ की भूमि पर अतिक्रमण होना बताकर बेदखली जुर्माना करते हुए आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

हमने इस प्रकरण में अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक की एक पक्षीय बहसी सुनी गई। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। वकील

अपीलान्ट ने अपनी बहस शुरू करते हुए स्पष्ट किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रकिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की विधिवत् सुनवाई का अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नहीं दिया गया है। न ही वास्तविक तथ्यों एवं मौक की जाँच किये बिने ही आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरित होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने होना बताया है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम भाटेलाई में स्थित खसरा नं0 252/1 रकबा 13.10 बीघा अपीलार्थी के पिता खमाराम के खातेदारी भूमि आई हुई है, जिसमें से कोई भी रकबा उसके पिता ने भूमि जारी तहसीलदार शेरगढ़ को कभी कोई समर्पण नहीं किय फिर भी तत्कालील पटवारी हल्का ने इस खसरे की 2 बीघा भूमि को नये खसरा नं0 252/1 बताकर सरकारी खाते में दर्ज कर दिया। जिसको निरस्त करवाने हेतु अपीलार्थी के पिता खमाराम ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो लम्बित चल रहा है।

अपीलार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का ने अपीलार्थी का विवादित खसरा नं0 252/2 में मूंग की काश्त दिखाकर अपीलार्थी को राजकीय भूमि पर कब्जा करने के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम तहसीलदार बालेसर को रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बालेसर द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किये, जिस पर अपीलान्ट दिनांक 28.10.2016 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि राजकीय भूमि नहीं है। तथा अपीलार्थी के पिता की खातेदारी की भूमि है। जिसमें अपीलार्थी ने वर्ष 1995 में ढाणी व पक्का मकान बनाया है। तथा पानी का टांका भी बनाया है। इस मकान में अपीलार्थी अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अपना पक्ष/सबूत/ग्वाह प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया और जल्दबाजी में एक तरफा आदेश पर कर दिया है जो विधि विरुद्ध है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से अप्रार्थी (अपीलान्ट) को प्रारूप क(नियम–3) राजस्थान भू राजस्व

अधिनियम 1956 के धारा 91 के अधीन नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत् तामिल करवाई गई। अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.10.2016 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया। उन्होने कोई साक्ष्य या उजर विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया। अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील में यह भी जाहिर किया कि विवादग्रस्त भूमि बाबत् माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो लम्बित होना बताया है। इस बाबत् अपीलान्ट ने कोई दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जाता है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर